

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] No. 431] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2014

सा.का.नि. **596(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते) नियम, 2014 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "अंशकालिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के सदस्य के अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) उन पदों और शब्दों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3249 GI/2014 (1)

3. अधिवेशन भत्ता.—कोई अंशकालिक सदस्य को, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए केवल 20,000 रुपए भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु जहां कोई सरकारी अधिकारी किसी अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त है, उसे प्राधिकरण की किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी भत्ते का संदाय नहीं किया जाएगा ।

- 4. वाहन भत्ता.—किसी अंशकालिक सदस्य को प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए पचास किलोमीटर तक वातानुकूलित टैक्सी प्रभार या उसके द्वारा उपगत वास्तविक व्यय, इसमें से जो कम हो, प्रतिपूर्ति होगी और प्राधिकरण द्वारा वाहन उपलब्ध न कराए जाने की दशा में स्वतः प्रमाणीकरण के आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करेगा ।
- 5. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि.—किसी अंशकालिक सदस्य की दशा में, ऐसे सदस्य के रूप में उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने निवास के साधारण स्थान से बाहर जाने के लिए बुलाए जाने पर, वह प्राधिकरण के किसी पूर्णकालिक सदस्य को यथा लागू समान दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वास-सुविधा का हकदार होगा ।
- 6. भारत से बाहर शासकीय दोरा.—(1) अंशकालिक सदस्य द्वारा भारत से बाहर दौरे करने को वित्त मंत्रालय के भारसाधक मंत्री और सचिवों की छानबीन समिति के पूर्व अनुमोदन की तथा राजनीतिक दृष्टि से विदेश मंत्रालय और विदेशी सत्कार को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय से, यदि कोई हों, विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्वाचन की अपेक्षा होगी।
- (2) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य भारत से बाहर विदेशी दौरा केवल केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में करेगा और वे ऐसे दौरों के संबंध में तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ सडसठ हजार रुपए और उन्नासी हजार रुपए प्रतिमाह वेतनमान के वेतनमान वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
- 7. **पद और गोपनीयता की शपथ.**—(1) अंशकालिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ लेंगे ।
 - (2) पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ इन नियमों से संलग्न प्ररुप 1 और प्ररुप 2 में होगी ।
- 8. अवशिष्ट उपबंध.—इन नियमों में किसी भत्ते के संबंध में, अंशकालिक सदस्यों से संबंधित अवशिष्ट मामले में, जिसका कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, विनिश्चय के लिए प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट होंगे और उस पर सरकार का विनिश्चय उन पर लागू होगा ।
- 9. शिथिल करने की शक्ति.—केंद्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 11/5/2014-पीआर] अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 7 देखें)

पशन निधि विनियामक आरे विकार	भ प्राधिकरण क) अशकातिक	सदस्य द्वारा प	द का शपथ	का प्ररुप	
			_ ,	_	_	

तारीख:

(अंशकालिक सदस्य का नाम)

प्ररूप 2

(नियम 7 देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं,	पेंशन निधि	विनियामक ३	और विकास	प्राधिकरण	के अंशव	गलिक
सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कर	ता हूं/ईश्वर की	। शपथ लेता	हूं कि जो ि	वेषय पेंशन	निधि विनि	यामक
और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में मेरे वि	वेचार के लिए व	लाया जाएगा	अथवा मुझे	ज्ञात होगा उ	से किसी	व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे अंशकालिक सदर	स्य के रूप में	अपने कर्तव्यों	के सम्यंक्	निर्वहन के	लिए ऐसा	करना
अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नर्ह	हीं करुंगा ।					
तारीख :						
			,			,
			(अंशकालिक	सदस्य क	ा नाम)
				(রা	धेकारी क	ा नाम)
				अधि	कारी का	पदनाम
				/ 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		\
				(फाइल सं.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2014

- **G.S.R. 596(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 51, read with sub-section (4) of Section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules namely:—
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Allowances Payable to Part-Time-Members) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** —In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
 - (b) "part-time member" means the part-time member of the Authority referred to in clause (c) of Section 4 of the Act:
 - (c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Meeting allowance.** —A part-time member shall be entitled to receive an allowance of twenty thousand rupees only, for a meeting of the Authority attended by him:

Provided that where a Government officer is appointed as a part-time member, he shall not be paid any allowance for attending a meeting of the Authority.

4. **Conveyance Allowance.**—A part-time member shall, for attending a meeting of the Authority, be reimbursed Air-conditioned taxi charges of upto fifty kilometers or the actual expenses incurred by him, whichever is less and the

reimbursement shall be claimed on self-certification basis, in case conveyance has not been provided by the Authority.

- Travelling Allowance, Daily allowance, etc.—In case a part-time member called upon to go out of the ordinary place of his residence for discharging his duties as such member, he shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, and accommodation at the same rate as applicable to a whole-time member of the Authority.
- Official tours outside India.—(1) Tours outside India to be undertaken by the part-time members shall require prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Finance and of the Screening Committee of the Secretaries and clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) or any other law for the time being in force.
- (2) Every part-time member shall undertake tours outside India only in accordance with the orders issued by the Central Government and they shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as applicable to the officers of the Central Government having the pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy nine-thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent.
- Oath of office and secrecy. —(1) A part-time member shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and an oath of secrecy.
 - (2) The oath of office and the oath of secrecy shall be administered in Form I and Form II annexed to these rules.
- Residuary provisions.—Residuary matters relating to part-time members, with respect to an allowance for which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for decision and the decision of that Government shall be applicable to them.
- Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. 11/5/2014-PR]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

FORM I

(See rule 7)

Form of oath of office for the part-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority.
, having been appointed as part-time member of the Pension Fund Regulatory
Development Authority solemnly affirm / swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my
duties as the part-time member of the Pension Fund Regulatory Development Authority, to the best of my ability,
knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will.
Dated:
(Name of part-time member)
FORM II
(See rule 7)

Form of oath of secrecy for the part-time member of the Pension Fund

Regulatory and Development Authority.

, having been appointed as the part-time member of the Pension Fund Regulatory

Development Authority do solemnly affirm / swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the part-time member of the Pension Fund Regulatory Development Authority, except as may be required for the due discharge of my duties as the part-time member.

Dated:

(Name of part-time member)

(Name of officer)

Designation of officer [File No.....]